क.

राजू

वी.

हरियाणा राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1175)

फरवरी 22,2019

[एन**.** वी**.** रमना**,** मोहन एम**.** शांतनागौदर और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 -एस. 7 ए-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 -आर. 12-निचली अदालत ने तीन अभियुक्त व्यक्तियों को सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया। 376(2)(छ) आई. पी. सी.-सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की-अपीलार्थी-अभियुक्त ने बचाव पक्ष उठाया कि अपराध करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी-उच्च न्यायालय ने तर्क को खारिज कर दिया और अपीलार्थी सहित तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीयक (न्यायिक) को अपीलार्थी की आयु के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया।72000 के अधिनियम का ए-इसके अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन निर्धारित की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वह उस समय किशोर था-राज्य ने सवाल उठाया कि क्या उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा तय किए गए किशोरता के अनुरोध को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए-अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने आयु के निर्धारण के लिए पूछताछ को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया का सहारा लिए बिना केवल अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर इस मुद्दे का फैसला किया।72000 के अधिनियम का ए और आर।12 2007 के नियमों के अनुसार-उच्च न्यायालय ने एस के अनुसार निर्धारित जांच नहीं की।7 ए एंडआर. 12-तत्काल मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पंजीयक (न्यायिक) द्वारा जांच की गई थी-जैसा कि पंजीयक (न्यायिक) द्वारा की गई जांच की पुष्टि की गई थी, ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के बराबर हो-इस प्रकार, ऐसी जांच के निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर प्रबल होंगे-तदनुसार, अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि और सजा।376 आई. पी. सी. को अलग कर दिया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी चर्चा को इस संदर्भ में भी तैयार नहीं किया कि क्या अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2000** और किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** नियम**, 2007** के तहत जांच करने के लिए पर्याप्त थे।इसके विपरीत**,** इसने केवल यह दर्ज किया कि साक्ष्य यह दिखाने के लिए नहीं गया कि अपीलार्थी अपराध करने के समय एक किशोर था**,** और योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा।**[**पैरा **15] [26-**ई**-**एफ**]**

ग

2. इसलिए**,** यह स्पष्ट है कि **2000** के अधिनियम और **2007** के नियमों के तहत निर्धारित एकमात्र जांच इस न्यायालय के निर्देशों पर पंजीयक **(**न्यायिक**)** द्वारा की गई थी**,** जब अदालत को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्कूल प्रमाण पत्रों को देखने पर संतोष हुआ कि प्रश्न में प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया ऐसी जांच के संचालन का दावा करने का हकदार है।ऐसी स्थिति में**,** यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त की आयु के संबंध में उच्च न्यायालय की राय पर इस न्यायालय के पंजीयक **(**न्यायिक**)** की जांच को प्राथमिकता दी जा सकती है**,** यह फिर से कहा जा सकता है कि क्या इस न्यायालय के निर्देश पर पंजीयक **(**न्यायिक**)** द्वारा की गई ऐसी जांच**,** यदि इसके बाद इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है**,** तो यह स्वयं इस न्यायालय द्वारा की गई जांच के बराबर होगी। यदि यह मामला है**,** तो इस तरह की जांच के निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर हावी होंगे।**[**पैरा **16] [26-**एफ**-**एच**; 27-**ए**]**

डी.

ई.

3. इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर भी इस न्यायालय की ओर से **2007** के नियमों के नियम **12** के संदर्भ में जांच करने के लिए पंजीयक **(**न्यायिक**)** को निर्देश देने की प्रथा को अपनाया है और उसमें किए गए निष्कर्षों को स्वीकार किया है।यह देखते हुए कि पंजीयक **(**न्यायिक**)** सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत एक जिला न्यायाधीश है**,** साक्ष्य एकत्र करने के रूप में अपनी सहायता का सहारा ले सकता है और इस न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक समय को बचाने के लिए संबंधित व्यक्ति के किशोर होने के दावे के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।हालांकि**,** इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पंजीयक **(**न्यायिक**)** द्वारा की गई जांच में निष्कर्ष स्वयं प्रबल नहीं होंगे।

च

जी.

एच.

उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए एक विपरीत दृष्टिकोण पर।इस न्यायालय द्वारा **2000** के अधिनियम की धारा **7** ए और **2007** के नियमों के नियम **12** में निर्धारित प्रक्रिया की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी रिपोर्ट पर अपना न्यायिक दिमाग लागू करने के बाद ही**,** और केवल तभी जब वह इस तरह की रिपोर्ट में निष्कर्षों की पुष्टि करता है**,** वही उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण पर प्रबल होगा जो ऐसी किसी जांच पर आधारित नहीं है।**[**पैरा **17] [27-**ए**-**डी**]**

4. यह निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि **12.07.1984** थी और इस प्रकार वह दिनांक **14.09.2000** के अपराध के समय **16** वर्ष**, 2** महीने और **2** दिन का था।ऐसी परिस्थितियों में**,** इसमें कोई संदेह नहीं है कि तत्काल मामले में इस न्यायालय के निर्देश पर पंजीयक **(**न्यायिक**)** द्वारा की गई जांच स्वयं इस न्यायालय द्वारा की

गई जांच के बराबर है**,** और **2007** के नियमों के नियम **12 (3)** में प्रदान की गई अपीलार्थी की उम्र का निर्णायक प्रमाण है। चूंकि अपीलार्थी **2000** के अधिनियम की धारा **2 (**के**)** और **2 (**एल**)** की आवश्यकता को पूरा करता है**,** इसलिए उक्त अधिनियम धारा **7** ए और धारा **20** के आलोक में उस पर पूरी तरह से लागू होता है।इसलिए**,** आपराधिक अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376 (2) (**जी**)** के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया जाता है।**[**पारस **24** और **25] [29-**जी**,** एच**; 30-**ए**,** बी**]**

ग

डी.

मुरारी ठाकुर बनाम बिहार राज्य **(2009) 16** एससीसी **256:**

ई.

[2006] 10 पूरक।एस. सी. आर. 988; धरमबीर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2010) 5 एस. सी. सी. 344: [2010] 5 एससीआर 137;

जितेंद्र सिंह **@**बब्बू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2010)**

13 एससीसी 523:[2010] 13 एस. सी. आर. 879; हरि राम बनाम राजस्थान राज्य (2009) 13 एस. सी. सी. 211: [2009] 7 एससीआर 623;

च

मोहन माली बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2010) 6** एससीसी **669:[2010]** एस**.** सी**.** आर**. 373;** दया नंद बनाम हरियाणा राज्य

(2011) 2 एससीसी 224:[2011] 1 एस. सी. आर. 173; जितेंद्र सिंह

@ बब्बू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2013) 11** एससीसी **193:**अबुज़र हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2012)**

10 एससीसी 489:[2012] 9 एस. सी. आर. 244; अब्दुल रज़ाक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 15 एस. सी. सी. 637-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

जी.

[2006] 10 पूरक।पैरा **4 [2010] 5** एस**.** सी**.** आर**. 137** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 988**

पैरा **4** ए को संदर्भित किया गया

एच.

21

राजू बनाम हरियाणा राज्य ए

[2010] 13 पैरा **4 [2009] 7** एस**.** सी**.** आर**. 623** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 879**

पैरा **9** को संदर्भित किया गया

[2010] एससीआर **373**

पैरा **9** को संदर्भित किया गया

[2011] 1 एससीआर **173**

पैरा **9 (2013) 11** एस**.** सी**.** सी**. 193** पैरा **9 (2012) 9** एस**.** सी**.** आर**. 244**

पैरा **9 (2015) 15** एस**.** सी**.** सी**. 637** पैरा **9** को संदर्भित

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2014 की आपराधिक अपील सं. 1175।

ग

2003 के आपराधिक अपील सं. 1830-एस. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ दवे, (न्यायमित्र), सुश्री जेमटीबेन ए. ओ., अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

सुश्री बीना माधवन, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1.यह अपील है

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में आपराधिक अपील संख्या 1830-एस. बी. 2003 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देश दिया गया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 376 (2) (जी) के तहत दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती दी गई थी।

च

2. तत्काल अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी राजू पुत्र राजेंद्र सिंह और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राजू पुत्र भीम और राजा @राज कुमार पुत्र मखसी ने आरोप लगाया कि तीन व्यक्तियों ने अभियोजक को रोक दिया था जब वह अपने एक साल के भाई के साथ कुछ खेतों से गुजर रही थी और उसे पास के एक खेत में ले गए थे, जिसके बाद राजू पुत्र भीम और राजा @राज कुमार पुत्र मखसी अभियोजक के साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल हो गए, जबकि अपीलकर्ता मैदान के बाहर खड़ा था।अभियोजक की आयु पंद्रह वर्ष थी।

जी.

एच.

22

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 4 एस सी आर।

घटना के समय, जो 14.09.2000 पर हुई थी।तीनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 500/-, और जुर्माने का भुगतान न करने पर दो महीने का कठोर कारावास।उसी से नाराज होकर तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

3. अपीलार्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष उठाया कि अपराध करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, अर्थात आई. डी. 1, और इसलिए वह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000

(संक्षेप में, "2000 अधिनियम") के प्रावधानों के लाभ का हकदार था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस तरह के तर्क को खारिज कर दिया और अपीलार्थी सहित तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की।

ग

4. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ किशोरता की याचिका को फिर से उठाते हुए तत्काल अपील दायर की।अपीलार्थी ने दयानंद मिडिल स्कूल, सोहना, गुड़गांव द्वारा अपने पक्ष में जारी एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जिसमें उनकी जन्म तिथि 12.07.1984 दिखाई गई थी।उन्होंने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़कों), सोहना द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भी भरोसा किया, जिसमें उनकी जन्म तिथि समान दिखाई गई थी।अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन प्रमाणपत्र प्रथम दृष्टया उसे 2000 अधिनियम की धारा 7 ए के संदर्भ में जांच के संचालन का दावा करने का अधिकार देते हैं। अपीलार्थी ने उल्लेख किया

डी.

ई.

मुरारी ठाकुर बनाम बिहार राज्य, (2009) 16 एस. सी. सी. 256, धरमबीर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2010) 5 एस. सी. सी. 344, और जितेंद्र सिंह @बब्बू सिंह बनाम यू. पी. राज्य, (2010) 13 एस. सी. सी. मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के लिए।

523.

5. ऐसी परिस्थितियों और उन प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए के संदर्भ में अपीलार्थी की उम्र के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ जांच करने और आदेश के चार महीने के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

च

जी.

6. इस न्यायालय को आई. डी. 1 पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन थी और इस प्रकार वह उस समय किशोर था।इसके बाद दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया।हालांकि, बाद में, राज्य ने तर्क दिया कि ए

एच.

न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था कि क्या इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा तय किशोरता की याचिका को उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।25.04.2014 दिनांकित एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपील पर आगे सुनवाई की जाए।श्री सिद्धार्थ दवे को बाद में न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया।7. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय के विद्वान पंजीयक (न्यायिक) ने विधिवत अभिलेखों को बुलाने और प्रस्तुत की गई सामग्री की सराहना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपीलार्थी अपराध करने के समय किशोर था और अपीलार्थी को इस तरह के निष्कर्ष के लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं था।इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह देखते हुए कि इस न्यायालय के निर्देश पर ही विद्वान पंजीयक ने 2000 अधिनियम की धारा 7 ए और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जांच की थी, और कानून के अनुसार ऐसी जांच करने के बाद इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट को इस न्यायालय द्वारा ही बनाया गया माना जा सकता है।8. विद्वान न्यायमित्र और राज्य के वकील को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

ग

डी.

9. जैसा कि हरि राम बनाम राजस्थान राज्य**, (2009) 13** एस**.** सी**.** सी**. 211** में अभिनिर्धारित किया गया था कि **2000** के अधिनियम की धारा **20** के साथ पठित धारा **2 (**के**), 2 (**एल**), 7** ए के आलोक में**,** जैसा कि **2006** में संशोधन किया गया था**,** एक किशोर जिसने अपराध करने की तारीख को अठारह वर्ष पूरे नहीं किए थे**,** वह **2000** के अधिनियम के लाभ का हकदार है **(**मोहन माली भी देखें**)**।

ई.

मध्य प्रदेश राज्य**, (2010) 6** एस**.** सी**.** सी**. 669;** दया नंद बनाम हरियाणा राज्य**, (2011) 2** एस**.** सी**.** सी**. 224;** धरमबीर बनाम दिल्ली राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.) (**ऊपर**);** जितेंद्र सिंह **@**बब्बू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,**

(2013) 11 एससीसी 193)।यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, जिसमें यह न्यायालय भी शामिल है, किसी मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, धारा 7 ए के संदर्भ में।

च

2000 के अधिनियम **(**देखें धरमबीर बनाम दिल्ली राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.), (**ऊपर**),** अबुज़र हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, (2012) 10** एस**.** सी**.** सी**. 489;** जितेंद्र सिंह **@**बब्बू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (**ऊपर**);** अब्दुल रज़ाक बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश, (2015) 15 एस. सी. सी. 637)।10. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार होगा यदि अपराध करने की तारीख को उसकी आयु 18 वर्ष से कम निर्धारित की जाती है।इसके अलावा, यह अप्रासंगिक होगा कि धारा 7 ए के आलोक में निचली अदालत के समक्ष किशोरता की याचिका नहीं उठाई गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार

जी.

एच.

इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) द्वारा संचालित इस मामले में, अपीलार्थी की आयु अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम थी।हमारे सामने एकमात्र सवाल जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या ऐसी रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि 2000 के अधिनियम का लाभ अपीलार्थी को दिया जा सके।

11. आगे बढ़ने से पहले, 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (संक्षेप में, "2007 नियम") के नियम 12 का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो किशोरता के दावे के मामले में न्यायालय द्वारा जांच करने से संबंधित है।2000 के अधिनियम की धारा 7 ए इस प्रकार हैः

ग

" 7 ए. किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किए जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया -

(1) जब भी किसी न्यायालय या न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो यह राय होती है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, न्यायालय जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन शपथ पत्र नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी आयु लगभग बताई जाएगीः

डी.

बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर चुका हो।

ई.

च

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगी और अदालत द्वारा दी गई सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।"

जी.

(बल दिया गया)2007 के नियमों के नियम 12 के उप-नियम (3) में आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कहा गया हैः

“कानून के साथ टकराव में एक बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत या ए द्वारा की जाएगी।

एच.

25

राजू बनाम हरियाणा राज्य [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.] ए.

बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति ने साक्ष्य प्राप्त करके -

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

((ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित हुई; और जिसके अभाव में;

((ग) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

ग

डी.

और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (ए) (आई), (बी), (आई) में से किसी एक में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (बी) कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।"

ई.

(जोर दिया गया) 13.उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय की राय है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, या यदि उसके समक्ष किशोरता का दावा किया जाता है, तो न्यायालय को अभियुक्त की आयु के निर्धारण के संबंध में जांच करनी चाहिए।ऐसी जांच के माध्यम से एकत्र किया गया साक्ष्य, जैसा कि नियम 12 (3) के खंड (ए) (आई), (बी) और (आई) में निर्दिष्ट है, या जिसके अभाव में, खंड (बी), अभियुक्त की उम्र का निर्णायक प्रमाण माना जाता है।ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय द्वारा की गई ऐसी जांच को उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अभियुक्त की उम्र के दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जाएगी।यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में, उच्च न्यायालय ने केवल अभिलेख पर सामग्री के मूल्यांकन पर इस मुद्दे का फैसला किया।

च

जी.

एच.

2000 के अधिनियम की धारा 7 ए और 2007 के नियमों के नियम 12 में निर्धारित आयु निर्धारण के लिए पूछताछ को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया का सहारा लिए बिना।

14. इस बिंदु पर, अभियुक्त की आयु के संबंध में विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक है ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि उसने धारा 7 ए और नियम 12 के अनुसार निर्धारित जांच नहीं की है।उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने सहायक पुलिस आयुक्त, भोंडसी, गुड़गांव की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उनकी जन्म तिथि 12.07.1984 थी, जिससे 2000 अधिनियम के लाभ का दावा किया गया। इस याचिका को निचली अदालत के समक्ष किशोरावस्था की याचिका को उठाने में विफलता के आधार पर खारिज कर दिया गया था; ऐसा करने का अवसर दिए जाने के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं करना; दिनांकित जन्म रजिस्टर में अपीलार्थी का नाम न होना और वर्षों के लिए अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा उपस्थित स्कूलों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की तारीख की पुष्टि न करना; ऐसे प्रमाण पत्रों पर नाम (राज कुमार) का अपीलार्थी के नाम के साथ मिलान न करना जैसा कि रिकॉर्ड (राजू) में लाया गया है; और ऐसे प्रमाण पत्रों के माध्यम से अपीलार्थी के पते की पुष्टि न करना, जिसमें केवल यह कहा गया था कि राज नामक छात्र की जन्म तिथि

ग

डी.

15. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी चर्चा को इस संदर्भ में भी तैयार नहीं किया कि क्या रिकॉर्ड पर लाया गया साक्ष्य 2000 के अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत जांच करने के लिए पर्याप्त था, इस तरह की जांच का आदेश देने और संचालन करने की तो बात ही छोड़िए।इसके विपरीत, इसने केवल यह दर्ज किया कि साक्ष्य यह दिखाने के लिए नहीं गया कि अपीलार्थी अपराध करने के समय एक किशोर था, और योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा।

ई.

च

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि 2000 के अधिनियम और 2007 के नियमों के तहत निर्धारित एकमात्र जांच इस न्यायालय के निर्देशों पर पंजीयक (न्यायिक) द्वारा की गई थी, जब अदालत को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्कूल प्रमाण पत्रों को देखने पर संतोष हुआ कि प्रश्न में प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया ऐसी जांच के संचालन का दावा करने का हकदार है।ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त की आयु के संबंध में उच्च न्यायालय की राय पर इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) की जांच को प्राथमिकता दी जा सकती है, यह फिर से कहा जा सकता है कि क्या इस न्यायालय के निर्देश पर पंजीयक (न्यायिक) द्वारा की गई ऐसी जांच, यदि इसके बाद इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो यह स्वयं इस न्यायालय द्वारा की गई जांच के बराबर होगी।यदि यह ए

जी.

एच.

27

राजू बनाम हरियाणा राज्य [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.] ए.

मामला हो, ऐसी जांच के निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर हावी होंगे, जैसा कि पिछली चर्चा से स्पष्ट है।17. हमारा मानना है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर भी इस न्यायालय की ओर से 2007 के नियमों के नियम 12 के संदर्भ में जांच करने के लिए पंजीयक (न्यायिक) को निर्देश देने की प्रथा को अपनाया है और इसे स्वीकार किया है।

उसमें किए गए निष्कर्ष (धर्मबीर बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) देखें,

(ऊपर)।यह देखते हुए कि पंजीयक (न्यायिक) सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत एक जिला न्यायाधीश है, साक्ष्य एकत्र करने के रूप में अपनी सहायता का सहारा ले सकता है और इस न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक समय को बचाने के लिए संबंधित व्यक्ति के किशोर होने के दावे के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है।हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि पंजीयक (न्यायिक) द्वारा की गई जांच में निष्कर्ष स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण पर प्रबल नहीं होंगे।इस न्यायालय द्वारा 2000 के अधिनियम की धारा 7ए और 2007 के नियमों के नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी रिपोर्ट पर अपना न्यायिक दिमाग लागू करने के बाद ही, और केवल तभी जब वह इस तरह की रिपोर्ट में निष्कर्षों की पुष्टि करता है, वही उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण पर प्रबल होगा जो ऐसी किसी जांच पर आधारित नहीं है।

ग

डी.

18. हम अब पंजीयक (न्यायिक) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निष्कर्षों पर विचार करने का कार्य कर सकते हैं।जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, रिपोर्ट के अनुसार, अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु 16 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन थी और इस प्रकार वह उस समय किशोर था।उक्त रिपोर्ट में, विद्वान पंजीयक ने हेडमास्टर, दयानंद आर्य मिडिल स्कूल, सोहना द्वारा दिनांकित 24.03.2012 और प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बॉयज़), सोहना द्वारा दिनांकित 12.12.2000 द्वारा जारी किए गए मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र का उल्लेख किया।इन प्रमाणपत्रों में संबंधित स्कूलों की आधिकारिक मुहर और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, और छात्र का नाम राजेंद्र सिंह के बेटे राज कुमार के रूप में लिखा होता है, और उनकी जन्म तिथि 12.07.1984 के रूप में दर्ज होती है।सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़कों), सोहना के प्राचार्य द्वारा दिनांकित 07.12.2010 प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि राजेंद्र सिंह का बेटा राज कुमार नाम का छात्र स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि 12.07.1984 और उसकी माँ का नाम श्रीमती के रूप में दर्शाया गया था। सरला देवी।

ई.

च

जी.

19. विद्वान पंजीयक ने अन्य विद्यालय अभिलेखों का उल्लेख करके इन प्रमाणपत्रों की सामग्री की विधिवत पुष्टि की और इसकी जांच भी की।

एच.

गवाह।दयानंद आर्य मिडिल स्कूल, सोहना के संबंध में, विद्वान पंजीयक ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के निर्देश पर उपस्थित शिक्षक श्री सुरेश चंद से पूछताछ की, जिन्होंने पुष्टि की कि 24.03.2012 दिनांकित स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रामाणिक था और तत्कालीन प्राचार्य के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था।पंजीयक ने अपने समक्ष प्रस्तुत स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र रजिस्टर में उसी की कार्यालय प्रति के साथ तुलना करके प्रमाण पत्र का सत्यापन भी किया।स्कूल के मूल प्रवेश और निकासी रजिस्टर की भी जांच की गई, जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 12.07.1984 के रूप में दर्ज की गई थी, और कहा गया था कि उसे 23.07.1992 पर स्कूल में भर्ती कराया गया था और कक्षा V उत्तीर्ण करने के बाद 310.3.1996 पर वापस ले लिया गया था।

ग

20. सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़कों), सोहना के संबंध में, विद्वान पंजीयक ने स्कूल के अभिलेख भी मांगे, जिन्हें स्कूल की प्रधानाचार्या के निर्देश पर श्रीमती निर्मल कालरा, शिक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।उन्होंने भी पुष्टि की कि 12.12.2000 दिनांकित स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रामाणिक था, और तत्कालीन प्राचार्य के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था।उन्होंने प्रमाण पत्र में प्रविष्टियों की तुलना स्कूल के संबंधित रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टियों के साथ करने की पुष्टि की, जिनकी प्रतियां विद्वान पंजीयक को प्रस्तुत की गई थीं।स्कूल में अपीलार्थी के अध्ययन की अवधि के संबंध में निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि श्रीमती कालरा ने भी शपथ पत्र पर की थी:

डी.

एस. नहीं।	प्रवेश संख्या.	प्रवेश की तिथि	हड़ताल बंद करने की तिथि	नाम हटाने के कारण
1	14163	7.5.1996 (छठी कक्षा में)	19.4.1997 (सातवीं कक्षा में)	विद्यालय निधि का भुगतान न करना
2	14678	17.5.1997 (सातवीं कक्षा में)	मार्च 1999 (आठवीं कक्षा में)	फाई ने आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में नेतृत्व किया
3	15546	7.7.1999 (आठवीं कक्षा में)	7.8.1999 (आठवीं कक्षा में)	निरंतर अनुपस्थिति

ई.

च

21. विद्वान पंजीयक ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित स्कूलों के स्कूल रजिस्टरों की प्रासंगिक प्रविष्टियों के साथ पढ़े गए 24.03.2012 और 12.12.2000 दिनांकित स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, 2007 के नियमों के नियम 12 (3) (ए) (ii) के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थे, यानी वे पाए गए थे।

जी.

"स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख (एक प्ले स्कूल के अलावा) पहली बार उपस्थित" की प्रकृति में होना जैसा कि उक्त में निर्दिष्ट किया गया है।

खंड, और इस प्रकार अपीलार्थी के किशोरता के दावे को स्वीकार कर लिया।यह भी ए था

एच.

पता चला कि प्रमाणपत्रों में अपीलार्थी का नाम राजेंद्र सिंह के पुत्र राज कुमार के रूप में था, जिसका जन्म 12.07.1984 पर हुआ था।यह नाम अपीलार्थी का पूरा नाम पाया गया और एसएलपी रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाला नाम राजू एक उपनाम माना गया, जैसा कि उसके माता-पिता दोनों ने अलग-अलग हलफनामों के माध्यम से पुष्टि की थी।

22. हमारी राय में, विद्वान पंजीयक ने अपीलार्थी द्वारा उपस्थित स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सत्यता और प्रामाणिक प्रकृति की विधिवत पुष्टि की है।उसी समय, चूंकि नियम 12 (3) (ए) (ii) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की जन्म तिथि दिखाने वाला प्रमाण पत्र पहले उपस्थित स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से होगा, इसलिए हम पाते हैं कि दयानंद आर्य मिडिल स्कूल, सोहना द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड, जहां अपीलार्थी ने कक्षा V तक चार साल तक अध्ययन किया, जैसा कि ऐसे स्कूल से एक गवाह की परीक्षा के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई है, नियम 12 (3) के खंड (ए) (ii) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।बेशक, यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़कों), सोहना द्वारा जारी प्रमाण पत्र और साथ में स्कूल के रिकॉर्ड पूर्व विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि करते हैं।यहां इस बात को उजागर करना अनुचित नहीं होगा कि जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों का भी राज्य द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

ग

डी.

23. हम 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए के तहत परिकल्पित सीमा से भी अवगत हैं कि अभियुक्त की उम्र के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य केवल शपथ पत्र के रूप में नहीं हो सकते हैं।इस कारण से, विद्वान पंजीयक की शपथ पत्रों पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए निर्भरता कि अभिलेख पर रखे गए प्रमाण पत्रों में उपयोग किया गया नाम (यानी राज कुमार) अपीलार्थी का पूरा नाम है और राजू नाम केवल एक उपनाम है, हमारे विचार में मान्य नहीं है।हालाँकि, हम पाते हैं कि दयानंद आर्य मिडिल स्कूल, सोहना द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर अपीलार्थी के पिता के नाम की उपस्थिति के रूप में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं, जो यह इंगित करता है कि ऐसे प्रमाण पत्र पर दिखाई देने वाला नाम राज कुमार अपीलार्थी का पूरा नाम था।24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी राय है कि यह निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 12.07.1984 थी और इस प्रकार अपराध के समय उसकी आयु 16 वर्ष, 2 महीने और 2 दिन थी।ऐसी परिस्थितियों में, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तत्काल मामले में इस न्यायालय के निर्देश पर पंजीयक (न्यायिक) द्वारा की गई जांच स्वयं इस न्यायालय द्वारा की गई जांच के बराबर है, और

ई.

च

जी.

एच.

30

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 4 एस सी आर।

2007 के नियमों के नियम 12 (3) में प्रदान की गई अपीलार्थी की उम्र का निर्णायक प्रमाण।चूंकि अपीलार्थी 2000 के अधिनियम की धारा 2 (के) और 2 (एल) की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए उक्त अधिनियम धारा 7 ए और धारा 20 के आलोक में उस पर पूरी तरह से लागू होता है।

25. आपराधिक अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया जाता है।यह देखते हुए कि अपीलार्थी पहले ही 6 वर्ष कारावास में बिता चुका है, जबकि 2000 के अधिनियम की धारा 15 (1) (छ) के अनुसार अधिकतम अवधि जिसके लिए एक किशोर को विशेष गृह में भेजा जा सकता है, केवल 3 वर्ष है, और चूंकि अपीलार्थी को पहले ही न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के आधार पर जमानत पर बढ़ा दिया गया है, इसलिए उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।उसके जमानत बांड खारिज हो जाते हैं और उसके खिलाफ सभी कार्यवाही, जहां तक वे वर्तमान मामले से संबंधित हैं, समाप्त हो जाती हैं।

ग

26. इस मामले में भाग लेने से पहले, हम इस मामले में विद्वान न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा इस न्यायालय को दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करना चाहेंगे।

डी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

च

जी.

एच.